न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 286/2015

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. भोपालसिंह पुत्र दौलतसिंह
   जाति-राजपूत, निवासी-धनेरिया,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 30/06/2015

उपस्थितः. 1. वादी स्वयं उपस्थित ।

2. तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 30/06/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - राबड़ियावारा पर आयोजित ''लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादी ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया हैं कि सरहद मौजा-धनेरिया पटवार मण्डल-केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 403 रकबा 71-01 बीघा किस्म बा0अ0 की भूमि आई हुई हैं। जिसमें भोपालसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत 1/3 में से 5/132 हि0 का खातेदार दर्ज था। जिसमें से रजि0 दस्तावेज दिनांक 14/12/2007 की पु.स. I जि.स. 54 में पृ.स. 32 क्र.सं. 2006005766 पर पंजीबद्ध के अनुसार 7-00 बीघा भूमि का बेचान कमलादेवी पत्नि नोरतमल जाति-कुमावत, निवासी-धनेरिया को किया गया। उक्त रजिस्ट्री के अनुसार हल्का पटवारी केकिन्दड़ा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 687 दर्ज किया गया। खातेदार के हिस्से में कुल भूमि 71-01 बीघा का 1/3 हिस्सा आता था, जिसमें से 7-00 बीघा भूमि का बेचान किया गया। हल्का पटवारी नामान्तरकरण दर्ज करते समय इस प्रकार हिस्से खोले - भोपालसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति-राजपूत 5/132 कमलादेवी पत्नि नोरतमल जाति-कुमावत (रेड़) 13/44 =1/3 हि0 सा0 देह। निवेदन हैं कि उक्त हिस्साकस्सी गलत तरीके से की गई, जिससे क्रता कमलादेवी पत्नि नोरतमल के हिस्से में 7-00 बीघा भूमि दर्ज हो गयी। परन्तु भोपालसिंह पुत्र दौलतसिंह के हिस्से में 0-18 बीघा भूमि बची। जबकि कुल 71-01 बीघा में से 1/3 हिस्सा यानि 23-13 बीघा भूमि में से 7-00 बीघा भूमि बेचान करने पर शेष 16-13 बीघा भूमि शेष भोपालसिंह के हिस्से में रहनी चाहिए। हिस्सा खोलते समय भोपालसिंह पुत्र दौलतसिंह 31/44 हि0 कमलादेवी पत्नि नोरतमल कुमावत 13/44 = 1/3 हि0 दर्ज करना चाहिए था, जो नहीं करके 5/132 दर्ज किया गया, जो गलत हैं। इस प्रकार राजस्व प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सायलान भोपालसिंह के हिस्से में वर्तमान में सद्भाविक भूलवश गलत दर्ज 5/132 हिस्से के स्थान पर 31/44 हिस्सा दुरूस्त दर्ज किये जाने अर्थात् वादी को 5/132 हिस्से के स्थान पर सही हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

31/44 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 05/07/2008 तथा पंजीबद्ध विक्रय विलेख संख्या 2006006766 दिनांक 14/12/2007 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपस्थित वादी पक्षकार को सुना गया। माफिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 14/12/07 अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 403 रकबा 71-01 बीघा किस्म बा0अ0 भूमि के 1/3 हिस्से में से 13/44 हिस्सा यानि कुल आराजी का 13/132वां हिस्सा की 7 बीघा विक्रित भूमि होना अंकित हैं। वस्तुतः उक्त विवादित भूमि का विक्रय विलेख अनुसार अपने 1/3 हिस्से में से 13/44 हिस्से का बेचान कमलादेवी को करने पर शेष हिस्सा 31/44 ही रहता हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित भूमि में वादी का गलत दर्ज हिस्सा 5/132 के स्थान पर 31/44 दुरूस्त रूप से जरिए शुद्धि-पत्र दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-धनेरिया पटवार मण्डल-केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित खसरा नम्बर 403 रकबा 71-01 बीघा किस्म बा0अ0 भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में माफिक पंजीबद्ध दस्तावेजात दिनांक 14/12/07 कमलादेवी को विक्रित हिस्सा 13/44 दुरूस्त दर्ज हैं। वादी का शेष गलत हिस्सा 5/132 दर्ज किया गया हैं, जबकि वास्तविक 31/44 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादी को 31/44 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 30/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प शिविर अटल सेवा केन्द्र राबड़ियावास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. भोपालसिंह पुत्र दौलतसिंह
   जाति-राजपूत, निवासी-धनेरिया,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 286/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी स्वयं उपस्थित मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-धनेरिया पटवार मण्डल-केकिन्दड़ा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित खसरा नम्बर 403 रकबा 71-01 बीघा किस्म बा0अ0 भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में माफिक पंजीबद्ध दस्तावेजात दिनांक 14/12/07 कमलादेवी को विक्रित हिस्सा 13/44 दुरूस्त दर्ज हैं। वादी का शेष गलत हिस्सा 5/132 दर्ज किया गया हैं, जबकि वास्तविक 31/44 है, दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादी को 31/44 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र शाबाड़ियावास में आज तारीख 30/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	Nil		मिजानः-	Nil	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner